

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 284]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 जुलाई 2016—आषाढ़ 21, शक 1938

स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2016

क्रमांक एफ-01-01-2015-बीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा [मध्यप्रदेश शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 1982 को अतिष्ठित करते हुए] मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा सेवा (शाला शाखा) में भर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

#### नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2016 है.

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

- (क) सेवा के संबंध में “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है अनुसूची-एक में यथादर्शित प्राधिकारी;
- (ख) “आयोग” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;
- (ग) “आयुक्त” से अभिप्रेत है, आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश;
- (घ) “विभागीय पदोन्नति समिति” से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन संचालित प्रतियोगी परीक्षा या विभागीय परीक्षा;
- (ङ) “संचालक” से अभिप्रेत है, संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश;
- (च) “परीक्षा” से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन संचालित प्रतियोगिता परीक्षा या विभागीय परीक्षा ;
- (छ) “परीक्षा अभिकरण” से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन प्रतियोगिता परीक्षा या विभागीय परीक्षा का संचालित करने के लिए सरकार द्वारा विनिश्चित अभिकरण;
- (ज) “सरकार” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (झ) “राज्यपाल” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

- (ज) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-XXV-4-84 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (ट) "अनुसूची" से अभिप्रेत इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (ठ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ।
- (ड) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ।
- (ढ) "सेवा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा (शाला शाखा);
- (ण) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य ;
- (त) "चयन समिति" से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन गठित समिति।

3. विस्तार तथा लागू होना.— मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे ।

4. सेवा का गठन.— सेवा निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी, अर्थात्:—

(एक) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची (एक) में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः अथवा स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों;

(दो) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों;

(तीन) वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों ।

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि.— सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान, उससे संलग्न पे-बैंड तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची —(एक) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, होगी :

परंतु सरकार सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर, स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी ।

6. भर्ती का तरीका :— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा चयन;

(ख) अनुसूची चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा ;

- (ग) (1) ऐसे संवर्ग/सेवा से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जैसे कि अनुसूची-दो के कॉलम (6) में विनिर्दिष्ट किए जाएं;
- (2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) तथा खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची-एक में दर्शाए गए पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाए गए प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;
- (3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा की किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से, अवधारित की जावेगी।
- (4) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, यदि सरकार की राय में, सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा आवश्यक होने पर, सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से, उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न अन्य तरीके अपना सकेगी।

7. सेवा में पदों पर नियुक्ति.— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में किसी भी संवर्ग में उद्भूत रिक्तियों पर सभी नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् के सिवाय नहीं की जाएगी।

8. सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.— परीक्षा में चयन के लिये भाग लेने हेतु पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:—

(1) आयु.—

- (क) अभ्यर्थी ने चयन/परीक्षा के प्रारंभ की तारीख के पश्चात् आने वाली पहली जनवरी को अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;
- (ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो अधिकतम आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी हैं या रह चुके हैं अधिकतम आयु सीमा नीचे उल्लिखित सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी;

- (एक) कोई अभ्यर्थी जो स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवक हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये।
- (दो) कोई अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो तो, 45 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। यह छूट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले, कार्यभारित कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों तथा परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी मान्य होगी ;
- (तीन) किसी उम्मीदवार को जो कि छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा में से अधिक से अधिक सात वर्ष की कालावधि, भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि उसके परिणामस्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से पांच वर्ष से अधिक न हो ।

**स्पष्टीकरण:—** शब्द "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में 6 मास तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(चार) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, को अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि को कम करने की अनुमति दी जाएगी, परंतु उसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से पांच वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण:—** शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग से संबंध रखता हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से तीन से अनधिक वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई (यूनिट) की सिफारिश के परिणामस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कटौती किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अतिशेष घोषित किया गया हो :-

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें कि सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो।

- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो और जिन्हें
  - (क) अल्पकालीन वचनबंध की अवधि पूर्ण हो जाने पर ;
  - (ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूरी हो जाने पर सेवामुक्त कर दिया गया हो।
- (3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक ;
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं) जिन्हें उनकी संविदा के पूरी होने पर सेवामुक्त किया गया हो;
- (5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो ;
- (6) असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किये गए भूतपूर्व सैनिक ;
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने के योग्य नहीं हैं ;
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो ;
- (घ) विधवा/परित्यक्ता तलाकशुदा अथवा निराश्रित की दशा में उच्चतर आयु सीमा में और 5 वर्ष की छूट दी जाएगी;
- (ङ) परिवार कल्याण-कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थी की दशा में अधिकतम आयु सीमा में 02 वर्ष की छूट दी जाएगी;
- (च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पुरस्कार प्राप्त सवर्ण पति/पत्नि के मामले में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी;
- (छ) "विक्रम पुरस्कार" प्राप्त अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी;
- (ज) मध्यप्रदेश के "निगम" अथवा "मण्डल" के कर्मचारी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

**मणी:—(1)** ऐसे अभ्यर्थी जो उपरोक्त नियम 8 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में वर्णित आयु संबंधी छूटों के अधीन भर्ती/चयन के लिए पात्र पाया गया हो, वे यदि आवेदन प्रस्तुत करने के बाद या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके बाद वे सेवा से त्याग पत्र देते हैं, तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छंटनी कर दी गई हो तो वे पात्र बने रहेंगे अन्य किसी भी मामले में उनकी आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएगी।

- (2) विभागीय अभ्यर्थी को चयन में सम्मिलित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी।
- (3) सभी प्रकार की छुटों को सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-11/12/1/3 दिनांक 3.11.2012 एवं दिनांक 20.11.2012 के अनुसार की जाएगी।

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं—** अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिये, जैसा कि संलग्न अनुसूची तीन में दर्शाई गई हैं, परंतु—

(क) आपवादिक मामलों में आयोग, शासन की अनुशंसा पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा जो यद्यपि इन नियमों में विहित कोई अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों, जिसके कारण आयोग/सरकार अभ्यर्थी को चयन के योग्य समझती हो।

(ख) उन अभ्यर्थियों पर भी चयन के लिये आयोग या जहां आयोग शामिल न हो वहां सरकार अपने विवेकानुसार विचार कर सकेगी, जो अन्यथा अर्ह हों, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधि प्राप्त की हो, जो शासन द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय न हों।

(तीन) — फीस.— अभ्यर्थी आयोग अथवा जहां पर आयोग समाहित न हो वहां सरकार द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करेगा।

**9— निरर्हताएं—**

- (1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग अथवा जहां पर आयोग समाहित न हो वहां सरकार द्वारा परीक्षा/चयन में उसके उपस्थित होने के लिये निरर्हता माना जा सकेगा ;
- (2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा;
- (3) कोई भी अभ्यर्थी, जो किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :

परन्तु जहां उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लम्बित हों तो वहां ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लम्बित रखी जाएगी।

- (4) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं समय-समय पर शासन द्वारा जारी किए गए निर्देश किसी अभ्यर्थी की निरहर्ता को सुनिश्चित करने के लिए लागू होंगे।
- (5) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य नहीं होगा।

**10- अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.-**

अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में आयोग अथवा सरकार का चयन/परीक्षा के लिए विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, साक्षात्कार/परीक्षा में उपस्थित होने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

**11- प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.-**

- (1) अनुसूची-दो में दर्शाए अनुसार भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अन्तरालों पर आयोजित की जाएगी जो कि आयोग अथवा जहां पर आयोग समाहित न हो, वहां सरकार समय-समय पर आयोग के परामर्श से अवधारित करें ;
- (2) आयोग/सरकार द्वारा परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार संचालित की जाएगी जैसे कि आयोग के परामर्श से, समय-समय पर जारी किए जाएं;
- (3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे;
- (4) इस प्रकार आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने में उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम, नियम-12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो;
- (5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें कि प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान

रखते हुए पद पर नियुक्ति के लिये चयनित किया जाए, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को उप नियम (2) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति किया जा सकेगा;

- (6) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और आयोग की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो सकेंगे, वहां आयोग सरकार के साथ परामर्श के पश्चात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अनुभव की ऐसी शर्तों को शिथिल कर सकेगा;
- (7) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के किसी अन्य प्रवर्ग से नहीं भरी जाएंगी और उन रिक्तियों को अगले चयन के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए रिक्त रखा जाएगा ;
- (8) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे ;

## 12. आयोग/परीक्षा अभिकरण द्वारा अनुशासित अभ्यर्थियों की सूची.-

- (1) आयोग/परीक्षा अभिकरण उन सभी अभ्यर्थियों की एक सूची गुणागुण के क्रम में तैयार करेगा जो ऐसे मानदण्डों से अर्ह हों जो की ऐसी सूची गुणागुण के क्रम में तैयार करेगा जैसा कि उसके द्वारा अवधारित किए जाएं तथा उसे यथाशीघ्र नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा ;
- (2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के बारे में उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आए हों;
- (3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किया जाना ही उसे नियुक्ति के लिए तब तक कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच के पश्चात्, जैसी कि आवश्यक समझी जाए, यह समाधान न हो जाए, कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है;



- (4) चयन सूची, आयोग/परीक्षा अभिकरण द्वारा जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी, किन्तु आयोग/सरकार की अनुमति से यह अवधि और छह माह तक के लिए आगे बढ़ाई जा सकेगी।

**13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति:-**

- (1) पात्र अभ्यर्थियों का पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये अनुसूची-चार में वर्णित सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक समिति गठित की जाएगी ;
- (2) समिति की बैठक एक वर्ष में कम से कम एक बार होगी;
- (3) ऐसे पदों पर, जिन पर अनुसूची-दो में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के द्वारा नियुक्ति की जाना है, पदोन्नति की प्रक्रिया मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 में यथाविनिर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार होगी।

**14. पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें:-**

समिति उन सभी लोक सेवकों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की एक जनवरी को उन पदों पर, जिससे पदोन्नति की जानी है, कम से कम उतने वर्षों की अर्हकारी सेवा (स्थानापन्न या मूल रूप से) पूर्ण कर ली हो, जितनी अनुसूची-चार के कॉलम- (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उप नियम (2) के उपबन्धों के अनुसार विचारार्थ क्षेत्र में आते हों;

**स्पष्टीकरण:- पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना का तरीका:-**

- (1) संबंधित वर्ष की, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आहूत की जाती है, प्रथम जनवरी, को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उसी कैलेंडर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है, फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से गणना नहीं की जाएगी;
- (2) पदोन्नति के लिये विचारण क्षेत्र "म0प्र0 लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002" में यथाविनिर्दिष्ट उपबन्धों एवं समय-समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगा।

**15. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना:-**

- (1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे योग्य व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो नियम 14 में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों तथा समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों के अनुसार सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए जाएं। यह सूची, चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण उद्भूत हुई प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये दो लोक

- सेवकों अथवा रिक्तियों के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, से मिलकर बनने वाली एक आरक्षित सूची भी तैयार की जाएगी;
- (2) चयन सूची तैयार करने के मानदण्ड "मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002" में दिये गये प्रावधानों तथा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होंगे; -
  - (3) चयन सूची में सम्मिलित किये गये व्यक्तियों के नाम अनुसूची-चार के कॉलम-(2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में उनकी वरिष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे ;

**स्पष्टीकरण:-** ऐसे व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो, केवल उसके पूर्ववर्ती चयन के तथ्य के आधार पर ही उसका उन लोगों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का दावा नहीं रहेगा ;

- (4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा ;
- (5) यदि चयन पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में राज्य/अधीनस्थ सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के लिये उसके कारण अभिलिखित करेगी ।

16. **आयोग से परामर्श.-** विभागीय पदोन्नति समिति की, जिसकी कि अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या आयोग के किसी सदस्य द्वारा की गई हो, सिफारिश के बारे में यह समझा जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद-320 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श करने की अपेक्षा का अनुपालन हो गया है और पृथक से आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी ।

17. **चयन सूची.-**

- (1) आयोग/सरकार, समिति द्वारा प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ तैयार की गई सूची पर विचार करेगी तथा जब तक कि वह सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक न समझे तो सूची को अनुमोदित करेगी ।
- (2) यदि आयोग/सरकार, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझती है तो वह प्रस्तावित परिवर्तन की सूचना समिति को देगी और उस पर प्राप्त टिप्पणियों, पर यदि कोई हों विचार करते हुए ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हों, जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हों, सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगी ।
- (3) आयोग/सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित ऐसी सूची अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा में सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची का गठन करेगी ।

- (4) चयन सूची सामान्यतया एक वर्ष की कालावधि के लिए तब तक लागू रहेगी जब तक कि नियम-15 के उप नियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण न किया जावे, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसके तैयार करने की तारीख से 18 माह की कुल कालावधि से परे नहीं बढ़ाई जाएगी :

परंतु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वाह अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में शासन के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि आयोग उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

**18. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—**

चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम से की जाएगी जिस क्रम में ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में आए हों।

- 19. पदोन्नति/छानबीन समिति में प्रतिनिधित्व.—** यदि पदोन्नति/चयन द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में पदोन्नति/छानबीन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर नामनिर्दिष्ट सदस्य, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, तब उसी प्रवर्ग के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य जो उसी स्तर का या उसके उच्चतर स्तर का होगा, पदोन्नति/छानबीन समिति में सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नति/छानबीन समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी।

- 20. परिवीक्षा.—** इन नियमों में कतिपय सेवाओं/पदों के लिये प्रावधानों के न होते हुए भी सेवा में सीधी भर्ती किये गये प्रत्येक अभ्यर्थी को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाएगा।

- 21. निर्वचन.—** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो वह शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

- 22. शिथिलीकरण.—** इन नियमों में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में, जिसको ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा उचित प्रतीत होती हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परंतु कोई मामला, ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उस व्यक्ति के लिये, कम अनुकूल हो।

- 23. व्यावृत्ति.—** इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबन्ध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेंगी।

24—निरसन तथा व्यावृत्ति:— इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पहिले लागू समस्त नियम, इसके द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं,

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**प्रमोद सिंह, उपसचिव.**

**अनुसूची - एक**  
**(नियम 5 देखिए)**

**सेवा में सम्मिलित पद, सेवा का वर्गीकरण तथा वेतनमान**

अनु क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्तकर्ता अधिकारी	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	आयुक्त, लोक शिक्षण	01	प्रथम श्रेणी (भा.प्र.से.)	37400-67000+ 10,000 ग्रेड पे	राज्य शासन	
2	संचालक, लोक शिक्षण	03	प्रथम श्रेणी	37400-67000+ 8900 ग्रेड पे	राज्य शासन	01 एक्स केडर पद सीमेत के लिये
3.	अपर संचालक, लोक शिक्षण	07	प्रथम श्रेणी	37400-67000+ 8700 ग्रेड पे	राज्य शासन	05 एक्स केडर पद राज्य शिक्षा केन्द्र एवं राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद (ओपन स्कूल) के लिये
4.	संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण	24	प्रथम श्रेणी	15600-39100+ 7600 ग्रेड पे	राज्य शासन	3 रा.मा.शि.अ.पद, 1 एक्स केडर पद पताजलि और 01 एक्स केडर पद मदरसा बोर्ड के लिये
5.	संयुक्त संचालक सिस्टम	01	प्रथम श्रेणी	15600-39100+ 7600 ग्रेड पे	राज्य शासन	
6.	मुख्य लेखा अधिकारी	01	प्रथम श्रेणी	15600-39100+ 7600 ग्रेड पे	राज्य शासन	राज्य लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
7.	उप संचालक, लोक शिक्षण	96	प्रथम श्रेणी	15600-39100+ 6600 ग्रेड पे	राज्य शासन	14 एक्स केडर पद (01 एक्स केडर पद ओपन स्कूल के लिये 01 एक्स केडर पद पताजलि के लिये 03 एक्स केडर पद रा.मा. शि.अ. एवं 09 एक्स केडर पद राज्य शिक्षा केन्द्र के लिये )
8	उप संचालक लोक शिक्षण अधीक्षक संवर्ग	01	प्रथम श्रेणी	15600-39100+ 6600 ग्रेड पे	राज्य शासन	
9.	संचालनालय में विज्ञान	01	प्रथम श्रेणी	15600-39100+	राज्य	

	परामर्शदाता			6600 ग्रेड पे	शासन	
10.	वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट	01	प्रथम श्रेणी	15600-39100+ 6600 ग्रेड पे	राज्य शासन	
11.	मुख्य पुस्तकाध्यक्ष ग्रन्थपाल	01	प्रथम श्रेणी	15600-39100+ 6600 ग्रेड पे	राज्य शासन	
12.	सहायक संचालक, लोक शिक्षण	384	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ 5400 ग्रेड पे	राज्य शासन	
13.	सहायक संचालक अधीक्षक संवर्ग	02	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ 5400 ग्रेड पे	राज्य शासन	
14.	सहायक संचालक वरिष्ठ निज सहायक संवर्ग	02	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ 5400 ग्रेड पे	राज्य शासन	
15.	सहायक संचालक प्रोग्राम	01	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ 5400 ग्रेड पे	राज्य शासन	
16.	वित्त अधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ 5400 ग्रेड पे	राज्य शासन	
17.	प्राचार्य, शारीरिक शिक्षा व प्रशिक्षण महाविद्यालय	01	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ 5400 ग्रेड पे	राज्य शासन	
18.	प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक शालाएं	2660	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ 5400 ग्रेड पे	राज्य शासन	
19.	प्राचार्य, उच्च संस्कृत विद्यालय	05	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ 5400 ग्रेड पे	राज्य शासन	
20.	प्राचार्य, शासकीय हिन्दी विद्यापीठ ग्वालियर	01	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ 5400 ग्रेड पे	राज्य शासन	
21.	क्षेत्रीय ग्रंथपाल	05	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ 5400 ग्रेड पे	राज्य शासन	
22.	प्राचार्य हाईस्कूल	2912	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+ 4200 ग्रेड पे	आयुक्त लोक शिक्षण	

23	वरिष्ठ निज सहायक	07	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+ 4200 ग्रेड पे	आयुक्त लोक शिक्षण	
24	कार्टोग्राफर संचालनालय लोक शिक्षण	01	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे	राज्य शासन	
25	सहायक लेखा एवं वित्ताधिकारी	56+1	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे	राज्य शासन	
26	योजना अधिकारी	39	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे	राज्य शासन	
27	व्याख्याता शारीरिक शिक्षा	07	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे	आयुक्त लोक शिक्षण	
28	व्याख्याता, उच्चतर माध्यमिक शालायें	5908	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे	आयुक्त लोक शिक्षण	
29	व्याख्याता, संस्कृत विद्यालय	08	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे	आयुक्त लोक शिक्षण	
30	व्याख्याता, हिन्दीपीठ ग्वालियर	03	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे	आयुक्त लोक शिक्षण	
31	एरिया एजुकेशन आफिसर	3286	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे	आयुक्त लोक शिक्षण	
32	प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला	9514	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे	आयुक्त लोक शिक्षण	

टीप:- सहायक संचालक (योजना) एवं सहायक संचालक (शारीरिक शिक्षा) का नाम सहायक संचालक लोक शिक्षण हो जाने के कारण सहायक संचालक योजना के 13 एवं सहायक संचालक (शारीरिक शिक्षा) के 10 पदों को सहायक संचालक लोक शिक्षण के पदों में समाहित कर लिया गया है।

**अनुसूची-दो**  
**(नियम 6 देखिए)**

अनु क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	पद संख्या भरे जाने वाले का प्रतिशत		
			सीधी भरती द्वारा (नियम 6 क)	पदोन्नति द्वारा (नियम 6 ख)	स्थानांतरण द्वारा (नियम 6 ग)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आयुक्त, लोक शिक्षण	01			अ.भा.प्र.सेवा संवर्ग से प्रतिनियुक्ति पर
2	संचालक, लोक शिक्षण	03		100%	01 पद अ.भा.प्र./राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग से प्रतिनियुक्ति पर
3.	अपर संचालक, लोक शिक्षण	07		100%	
4.	संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण	24		100%	
5.	संयुक्त संचालक सिस्टम	01		100%	
6.	मुख्य लेखा अधिकारी	01			राज्य लेखा सेवा संवर्ग से प्रतिनियुक्ति पर
7.	उप संचालक, लोक शिक्षण	96		100%	
8.	उप संचालक लोक शिक्षण अधीक्षक संवर्ग	01		100%	
9.	संचालनालय में विज्ञान परामर्शदाता	01			प्रतिनियुक्ति पर
10.	वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट	01		100%	
11.	मुख्य पुस्तकाध्यक्ष ग्रन्थपाल	01		100%	
12.	सहायक संचालक, लोक शिक्षण	384	50%	50%	
13.	सहायक संचालक अधीक्षक संवर्ग	02		100%	



14.	सहायक वरिष्ठ निज सहायक संवर्ग	संचालक	02		100%	
15.	सहायक प्रोग्रामर	संचालक	01	100%		
16.	वित्त अधिकारी		01			राज्य लेखा सेवा संवर्ग से प्रतिनियुक्ति
17.	प्राचार्य, शारीरिक शिक्षा व प्रशिक्षण महाविद्यालय		01		100%	
18.	प्राचार्य, माध्यमिक शालाएं	उच्चतर	2660		100%	
19.	प्राचार्य, विद्यालय	उच्च संस्कृत	05		100%	
20.	प्राचार्य, शासकीय हिन्दी विद्यापीठ ग्वालियर		01		100%	
21.	क्षेत्रीय ग्रंथपाल		05		100%	
22.	प्राचार्य हाईस्कूल		2912	25%	75%	
23.	वरिष्ठ निज सहायक		07		100%	
24.	कार्टोग्राफर संचालनालय शिक्षण	लोक	01		100%	
25.	सहायक लेखा एवं वित्ताधिकारी		56+1		100%	
26.	योजना अधिकारी		39		100%	
27.	व्याख्याता शिक्षा	शारीरिक	07		100%	
28.	व्याख्याता, माध्यमिक शालायें	उच्चतर	5518		100%	
29.	व्याख्याता, विद्यालय	संस्कृत	08		100%	
30.	व्याख्याता, ग्वालियर	हिन्दीपीठ	03		100%	
31.	एरिया आफिसर	एजुकेशन	3286	100%		
32.	प्रधानाध्यापक शाला	माध्यमिक	9514		100%	

टिप्पणी -

- (1) प्राचार्य हाईस्कूल के 25 प्रतिशत पद स्थानीय निकायों के वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में से सीमित परीक्षा के द्वारा भरे जायेंगे। शेष 75 प्रतिशत पदों में से 50 प्रतिशत पद व्याख्याता उमावि संवर्ग से प्राचार्य हाईस्कूल संवर्ग के पद पर पदोन्नति द्वारा तथा 25 प्रतिशत पद एरिया एजुकेशन आफिसर से प्राचार्य हाईस्कूल के पद पर पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
- (2) सरल क्रमांक-12 पर अंकित सहायक संचालक लोक शिक्षण, के 50 प्रतिशत पद म0प्र0 लोक सेवा द्वारा आयोजित संयुक्त राज्य सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भरती के द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत पद प्राचार्य उमावि संवर्ग से पदोन्नति के द्वारा भरे जाएंगे।
- (3) सरल क्रमांक 27 पर अंकित पद जिला क्रीडा एवं कल्याण निरीक्षक/व्यायाम निर्देशक (उच्च वेतनमान) से पदोन्नति के द्वारा भरे जायेंगे।
- (4) सरल क्रमांक 29 एवं 30 के पद सरल क्रमांक 28 पर अंकित पद के लिये पदोन्नति के साथ संबंधित विषय में स्नात्कोत्तर उपाधि प्राप्त प्रशिक्षित उच्च श्रेणी शिक्षक से पदोन्नति के द्वारा भरे जायेंगे।

**अनुसूची -तीन**  
**(नियम 8 देखिए)**  
**सीधी भर्ती हेतु आयु तथा पात्रता**

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक संचालक, लोक शिक्षण	21 वर्ष	40 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष उपाधि मान्यता प्राप्त संस्थान से	राज्य शिक्षा सेवा अर्न्तगत M0PRO लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त राज्य सिविल परीक्षा के माध्यम से सीधी भरती द्वारा
2	सहायक संचालक प्रोग्राम	21 वर्ष	40 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.सी.ए. अथवा बी. ई/बीटेक कम्प्यूटर विज्ञान के साथ अथवा उसके समकक्ष उपाधि मान्यता प्राप्त संस्थान से	राज्य शिक्षा सेवा अर्न्तगत M0PRO लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त राज्य सिविल परीक्षा के माध्यम से सीधी भरती द्वारा
3	प्राचार्य हाईस्कूल	-	-	(1) मान्यता प्राप्त विश्व विश्वविद्यालय से स्नात्कोत्तर उपाधि अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष उपाधि (2) शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एड) अथवा शिक्षा शास्त्र में समकक्ष उपाधि जो राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक परिषद द्वारा मान्य हो । (3) राज्य सरकार के विद्यालयों में कार्यरत स्थानीय निकाय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) के वरिष्ठ अध्यापक के पद का कम से कम 05 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव ।	(1) राज्य शिक्षा सेवा अर्न्तगत शासन द्वारा निर्धारित अभिकरण (एजेन्सी) के द्वारा सीमित परीक्षा के माध्यम से चयन (2) इस संवर्ग में चयन के लिये न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा का बंधन नहीं रहेगा।
4	एरिया एजुकेशन आफिसर	-	-	(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष उपाधि	(1) अधीनस्थ शिक्षा सेवा अर्न्तगत शासन द्वारा निर्धारित अभिकरण (एजेन्सी) के द्वारा सीमित

				। (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी. एड) अथवा समकक्ष उपाधि अथवा प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोउपाधि अथवा शिक्षा में समकक्ष उपाधि/पत्रो-उपाधि, उक्त सभी जो राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक परिषद द्वारा मान्य हो ।  (3) राज्य सरकार के शासकीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय, शिक्षक (उच्च श्रेणी शिक्षक) एवं पंचायत/नगरीय स्थानीय निकायों के अध्यापक चयन के लिये पात्र होंगे। शिक्षकों एवं अध्यापक संवर्ग के लिये 05 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव अनिवार्य है ।	परीक्षा के माध्यम से चयन  (2) इस संवर्ग में चयन के लिये न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा का बंधन नहीं रहेगा ।
--	--	--	--	---	--

टीप :- (1) प्राचार्य हाईस्कूल एवं एरिया एजुकेशन-आफिसर के पद पर चयन हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा का बन्धन नहीं होगा ।

टीप :- (2) "राज्य शिक्षा सेवा" के अर्न्तगत M0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त राज्य सिविल परीक्षा के माध्यम से सीधी भरती द्वारा नियुक्त सहायक संचालक, लोक शिक्षण की परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी तथा शासन द्वारा निर्धारित परीक्षा अधिकरण द्वारा आयोजित सीमित परीक्षा के माध्यम से चयनित प्राचार्य हाईस्कूल की परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी। परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार गतिविधियाँ सम्मिलित रहेगी:-

(अ) सहायक संचालक लोक शिक्षण :-

- (i) एक वर्षीय प्रवेश प्रशिक्षण :- इस अवधि में शैक्षिक प्रबंधन में पत्रोपाधि (डिप्लोमा) प्रमाण पत्र देने वाली किसी मान्यता प्राप्त संस्था में प्रशिक्षार्थी का पंजीयन होगा । उक्त पाठयक्रम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पूरा होगा ।
- (ii) नैतृत्व प्रशिक्षण:- सिमेट या भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर अथवा अन्य प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान से एक माह का नैतृत्व प्रशिक्षण होगा। सिमेट द्वारा यह प्रशिक्षण होने पर परियोजना क्रियान्वयन मॉड्यूल भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान से बनवाया जायेगा ।
- (iii) सेवा में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति प्रारंभिक रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण होने पर चयनित अधिकारी की नियमित पदस्थापना की जायेगी, परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं होने पर एक वर्ष के लिये संबंधित अधिकारी की परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जायेगी। इसके बावजूद भी परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी की सेवाएँ समाप्त कर दी जायेगी ।

(ब) प्राचार्य हाईस्कूल :-

- (i) एक वर्षीय प्रवेश प्रशिक्षण :- इस अवधि में शैक्षिक प्रबंधन में पत्रोपाधि (डिप्लोमा) प्रमाण पत्र देने वाली किसी मान्यता प्राप्त संस्था में प्रशिक्षणार्थी का पंजीयन होगा। उक्त पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पूरा होगा।
- (ii) नैतृत्व प्रशिक्षण:- सिमेट या भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर अथवा अन्य प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान से एक माह का नैतृत्व प्रशिक्षण होगा। सिमेट द्वारा यह प्रशिक्षण होने पर परियोजना क्रियान्वयन मॉड्यूल भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान से बनवाया जायेगा।
- (iii) सेवा में सीमित परीक्षा के माध्यम से नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति प्रारंभिक रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा और परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण होने पर चयनित अधिकारी की नियमित पदस्थापना की जायेगी परन्तु यह पदस्थापना अनिवार्यतः ग्रामीण क्षेत्र के हाईस्कूल में होगी। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण नहीं होने पर एक वर्ष के लिये संबंधित अधिकारी की परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जायेगी। इसके बावजूद भी परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी को उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जावेगा।

टीप: (3) अधीनस्थ राज्य सेवा के अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि :- अधीनस्थ राज्य सेवा की चयनित अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी। परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार गतिविधियाँ सम्मिलित रहेगी :-

- (i) नैतृत्व प्रशिक्षण:- इनके लिये सीमेट में परियोजना प्रबंधन एवं विद्यालय प्रशासन के बिन्दुओं को शामिल करते हुए एक माह का नैतृत्व प्रशिक्षण रखा जाएगा।
- (ii) परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर चयनित अधिकारी की नियमित पदस्थापना की जावेगी। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण नहीं होने पर एक वर्ष के लिये संबंधित अधिकारी की परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जायेगी। इसके बावजूद भी परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी को उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जावेगा।

टीप: (4) चयन प्रक्रिया का अन्तराल:-

- (i) सहायक संचालक, के सीधी भरती के अन्तर्गत रिक्त पद "राज्य संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा" के माध्यम से भरे जायेगे।
- (ii) प्राचार्य, हाईस्कूल के पदों की पूर्ति आवश्यकता अनुसार प्रत्येक दो वर्ष में एक बार शासन द्वारा निर्धारित परीक्षा अभिकरण के माध्यम से सीमित चयन परीक्षा द्वारा की जायेगी।

टीप: (5) MOPRO शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार भरती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा परिवर्तनीय रहेगी।

**अनुसूची - चार**  
**(नियम 13 देखिए)**

सरल क्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है.	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है.	पद के लिये अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	(1) अपर संचालक, लोक शिक्षण	संचालक, लोक शिक्षण	05 वर्ष	(1) मुख्य सचिव अथवा अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव जैसा की मुख्य सचिव द्वारा नामित किया जाय- अध्यक्ष. (2) प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा-सदस्य (3) आयुक्त लोक शिक्षण (पदेन सचिव, स्कूल शिक्षा)-सदस्य (4) उप सचिव, स्कूल शिक्षा-सदस्य सचिव	
2.	(1) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण (2) संयुक्त संचालक, सिस्टम	अपर संचालक, लोक शिक्षण	05 वर्ष	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग अथवा इनके द्वारा नामित सदस्य- अध्यक्ष. (2) प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा-सदस्य (3) आयुक्त लोक शिक्षण (पदेन सचिव, स्कूल शिक्षा)-सदस्य (4) उप सचिव, स्कूल शिक्षा-सदस्य सचिव	
3.	उप संचालक, लोक शिक्षण	संयुक्त संचालक लोक शिक्षण	05 वर्ष	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग अथवा इनके द्वारा नामित सदस्य- अध्यक्ष. (2) प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा-सदस्य (3) आयुक्त लोक शिक्षण (पदेन सचिव, स्कूल शिक्षा)-सदस्य (4) उप सचिव, स्कूल शिक्षा-सदस्य सचिव	
4.	सीनियर सिस्टम एनालिस्ट	संयुक्त संचालक, सिस्टम	05 वर्ष	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग अथवा इनके द्वारा नामित सदस्य- अध्यक्ष. (2) प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा-सदस्य (3) आयुक्त लोक शिक्षण (पदेन सचिव, स्कूल शिक्षा)-सदस्य (4) उप सचिव, स्कूल शिक्षा-सदस्य सचिव	
5.	(1) सहायक संचालक, लोक शिक्षण	उप संचालक, लोक शिक्षण	05 वर्ष	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग अथवा इनके द्वारा नामित सदस्य- अध्यक्ष. (2) प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा-सदस्य (3) आयुक्त लोक शिक्षण (पदेन सचिव, स्कूल शिक्षा)-सदस्य (4) संचालक लोक शिक्षण-सदस्य (5) उप सचिव, स्कूल शिक्षा-सदस्य सचिव	

6	सहायक संचालक प्रोग्राम	सिनीयर एनालिस्ट	रिस्टम	05 वर्ष	(1)अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग अथवा इनके द्वारा नामित सदस्य - अध्यक्ष. (2)प्रमुख सचिव,स्कूल शिक्षा -सदस्य (3)आयुक्त लोक शिक्षण (पदेन सचिव, स्कूल शिक्षा)-सदस्य (4) संचालक लोक शिक्षण-सदस्य (5)उप सचिव,स्कूल शिक्षा-सदस्य सचिव	
7	सहायक संचालक अधीक्षक संवर्ग	उप संचालक अधीक्षक संवर्ग		05 वर्ष	(1)अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग अथवा इनके द्वारा नामित सदस्य - अध्यक्ष. (2)प्रमुख सचिव,स्कूल शिक्षा -सदस्य (3)आयुक्त लोक शिक्षण (पदेन सचिव, स्कूल शिक्षा)-सदस्य (4) संचालक लोक शिक्षण-सदस्य (5)उप सचिव,स्कूल शिक्षा-सदस्य सचिव	
8	(1) प्राचार्य उमावि (2) प्राचार्य उच्च संस्कृत विद्यालय (3) प्राचार्य हिन्दी विद्यापीठ ग्वालियर (4) प्राचार्य शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय (5) योजना अधिकारी	सहायक संचालक लोक शिक्षण		05 वर्ष	(1)अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग अथवा इनके द्वारा नामित सदस्य - अध्यक्ष. (2)प्रमुख सचिव,स्कूल शिक्षा -सदस्य (3)आयुक्त लोक शिक्षण (पदेन सचिव, स्कूल शिक्षा)-सदस्य (4) संचालक लोक शिक्षण-सदस्य (5)उप सचिव,स्कूल शिक्षा-सदस्य सचिव	सहायक संचालक लोक शिक्षण के 7 एवं 15 पद क्रमशः योजना अधिकारी एवं प्राचार्य शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय संवर्ग से पदोन्ति हेतु आरक्षित रहेंगे
9	क्षेत्रिय ग्रंथपाल	संचालनालय में मुख्य ग्रंथपाल		05 वर्ष	(1)अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग अथवा इनके द्वारा नामित सदस्य - अध्यक्ष. (2)प्रमुख सचिव,स्कूल शिक्षा -सदस्य (3)आयुक्त लोक शिक्षण (पदेन सचिव, स्कूल शिक्षा)-सदस्य (4) संचालक लोक शिक्षण-सदस्य (5)उप सचिव,स्कूल शिक्षा-सदस्य सचिव	
10	प्राचार्य हाईस्कूल	(1) प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (2) प्राचार्य उच्च संस्कृत विद्यालय (3) प्राचार्य हिन्दी पीठ ग्वालियर		10 वर्ष व्याख्यात I उमावि. एवं प्राचार्य हाईस्कूल के पदों के अनुभव को जोडकर	(1)अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग अथवा इनके द्वारा नामित सदस्य - अध्यक्ष. (2)प्रमुख सचिव,स्कूल शिक्षा -सदस्य (3)आयुक्त लोक शिक्षण (पदेन सचिव, स्कूल शिक्षा)-सदस्य (4) संचालक लोक शिक्षण-सदस्य (5)उप सचिव,स्कूल शिक्षा-सदस्य सचिव	
11	अधीक्षक संवर्ग लोक शिक्षण संचालनालय	सहायक संचालक लोक शिक्षण, अधीक्षक संवर्ग		05 वर्ष	(1)अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग अथवा इनके द्वारा नामित सदस्य - अध्यक्ष. (2)प्रमुख सचिव,स्कूल शिक्षा -सदस्य (3)आयुक्त लोक शिक्षण (पदेन सचिव, स्कूल शिक्षा)-सदस्य	

				(4) संचालक लोक शिक्षण-सदस्य (5) उप सचिव, स्कूल शिक्षा-सदस्य सचिव
12	वरिष्ठ निज सहायक,	सहायक संचालक लोक शिक्षण, वरिष्ठ निज सहायक संवर्ग	05 वर्ष	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग अथवा इनके द्वारा नामित सदस्य- अध्यक्ष. (2) प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा-सदस्य (3) आयुक्त लोक शिक्षण (पदेन सचिव, स्कूल शिक्षा)-सदस्य (4) संचालक लोक शिक्षण-सदस्य (5) उप सचिव, स्कूल शिक्षा-सदस्य सचिव
13	व्याख्याता शारीरिक, शिक्षा	प्राचार्य शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय	05 वर्ष	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग अथवा इनके द्वारा नामित सदस्य- अध्यक्ष. (2) प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा-सदस्य (3) आयुक्त लोक शिक्षण (पदेन सचिव, स्कूल शिक्षा)-सदस्य (4) संचालक लोक शिक्षण-सदस्य (5) उप सचिव, स्कूल शिक्षा-सदस्य सचिव
14	(1) व्याख्याता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (2) व्याख्याता उच्च संस्कृत विद्यालय (3) व्याख्याता हिन्दी विद्यापीठ ग्वालियर	प्राचार्य हाईस्कूल	05 वर्ष	(1) आयुक्त लोक शिक्षण-अध्यक्ष (2) संचालक, लोक शिक्षण -सदस्य (3) अतिरिक्त संचालक/संयुक्त संचालक लोक शिक्षण -सदस्य (4) उप संचालक/सहायक संचालक-सदस्य सचिव
15	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	योजना अधिकारी	05 वर्ष	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग अथवा इनके द्वारा नामित सदस्य- अध्यक्ष. (2) प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा-सदस्य (3) आयुक्त लोक शिक्षण (पदेन सचिव, स्कूल शिक्षा)-सदस्य (4) संचालक लोक शिक्षण-सदस्य (5) उप सचिव, स्कूल शिक्षा-सदस्य सचिव
16	एरिया एजुकेशन आफिसर	प्राचार्य, हाईस्कूल	05 वर्ष	(1) आयुक्त लोक शिक्षण-अध्यक्ष (2) संचालक, लोक शिक्षण -सदस्य (3) अतिरिक्त संचालक/संयुक्त संचालक लोक शिक्षण -सदस्य (4) उप संचालक/सहायक संचालक-सदस्य सचिव
17	ग्रन्थपाल (उच्च वेतनमान)	क्षेत्रीय ग्रन्थपाल	05 वर्ष	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग अथवा इनके द्वारा नामित सदस्य- अध्यक्ष. (2) प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा-सदस्य (3) आयुक्त लोक शिक्षण (पदेन सचिव, स्कूल शिक्षा)-सदस्य (4) संचालक लोक शिक्षण-सदस्य (5) उप सचिव, स्कूल शिक्षा-सदस्य सचिव
18	सहायक अधीक्षक/वरिष्ठ लेखा परीक्षक	लेखाधिकारी/सहायक लेखा तथा वित्त अधिकारी	05 वर्ष	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग अथवा इनके द्वारा नामित सदस्य- अध्यक्ष. (2) प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा-सदस्य (3) आयुक्त लोक शिक्षण (पदेन सचिव, स्कूल शिक्षा)-सदस्य (4) संचालक लोक शिक्षण-सदस्य

(24)



				(5) उप सचिव, स्कूल शिक्षा-सदस्य सचिव
19	कलाकार मानचित्र इकाई	कार्टोग्राफर, लोक शिक्षण संचालनालय	05 वर्ष	(1)आयुक्त लोक शिक्षण-अध्यक्ष (2)संचालक, लोक शिक्षण -सदस्य (3)अतिरिक्त संचालक/संयुक्त संचालक लोक शिक्षण -सदस्य (4)उप संचालक/सहायक संचालक-सदस्य सचिव
20	निज सहायक	वरिष्ठ निज सहायक	05 वर्ष	(1)आयुक्त लोक शिक्षण-अध्यक्ष (2)संचालक, लोक शिक्षण -सदस्य (3)अतिरिक्त संचालक/संयुक्त संचालक लोक शिक्षण -सदस्य (4)उप संचालक/सहायक संचालक-सदस्य सचिव
21.	उच्च श्रेणी शिक्षक/प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला	(1) व्याख्याता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (2) व्याख्याता उच्च संस्कृत विद्यालय (3) व्याख्याता हिन्दी विद्यापीठ ग्वालियर	05 वर्ष	(1)आयुक्त लोक शिक्षण-अध्यक्ष (2)संचालक, लोक शिक्षण -सदस्य (3)अतिरिक्त संचालक/संयुक्त संचालक लोक शिक्षण -सदस्य (4)उप संचालक/सहायक संचालक-सदस्य सचिव
22	उच्च श्रेणी शिक्षक	प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला	05वर्ष	(1)जिला कलेक्टर -अध्यक्ष - (2)जिला शिक्षा अधिकारी -सदस्य (3)सहायक संचालक, लोक शिक्षण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय -सदस्य सचिव (4) प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय -सदस्य

टीप :-

- (1) सहायक सहायक (योजना) एवं सहायक संचालक(शारीरिक शिक्षा) का नाम सहायक संचालक लोक शिक्षण हो जाने के कारण सहायक संचालक योजना के 07 एवं सहायक-संचालक (शारीरिक शिक्षा) के 05 पद, कमशः योजना अधिकारी एवं प्राचार्य शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय से सहायक संचालक लोक शिक्षण पद पर पदोन्नति हेतु सुरक्षित रहेंगे।
- (2) संघटक इकाईयों से संबंधित अधिकारियों की वरिष्ठता की गणना राज्य पुर्नगठन अधिनियम के अधीन तैयार की गई संयुक्त पदक्रम सूची में दी गई उनकी क्रमिक स्थिति के आधार पर की जायेगी.
- (3) ऐसे उच्च श्रेणी शिक्षक जिसे शिक्षको के राष्ट्रीय/राज्य योजना पुरस्कार के अर्न्तगत राष्ट्रपति/राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त हो जाने पर तो उसे वरिष्ठ वेतनमान/क्रमोन्नत वेतनमान अथवा तदस्थानीय उच्चतर वेतनमान प्राप्त होने के उपरांत एवं पदोन्नति के योग्य पाये जाने पर इन नियमों के अधीन पारी बाहर पदोन्नति देय होगी।
- (4) व्याख्याता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति हेतु फीडर संवर्ग की वरिष्ठता अन्तर जिला स्थानांतरण होने पर परिवर्तित नहीं होगी। ऐसे प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला जो स्नातकोत्तर उपाधि धारी है उन्हें उच्च श्रेणी शिक्षक के पद की वरिष्ठता के आधार पर व्याख्याता उमावि के पद पर पदोन्नति की पात्रता होगी। ऐसी पदोन्नति के लिये लोक शिक्षण संचालनालय स्तर पर फीडर संवर्ग की एक संयुक्त वरिष्ठता सूची/संदर्भ सूची संधारित की जायेगी।
- (5) प्रधानाध्यापक का पद जिला स्तरीय पद बना रहेगा और इसकी वरिष्ठता जिला स्तर पर संधारित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रमोद सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2016

क्रमांक एफ0 01-01/2015/20-1:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ0 01-01/2015/20-1 दिनांक 12 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रमोद सिंह, उपसचिव.

Bhopal the 12<sup>th</sup> July 2016

No.-F 01-01/2015/20-1:: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of Madhya Pradesh Education Service [ school branch] recruitment and promotion Rules 1982, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment to the Madhya Pradesh, State Education Services (School Branch), namely :-

### RULES

#### 1. Short title and commencement –

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh State and Subordinate Education Services (School Branch) Recruitment and Promotion Rules, 2016.
- (2) These rules shall come into force from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette";

#### 2. Definitions – In these rules, unless the context otherwise requires –

- (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the authority as shown in Schedule -1;
- (b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission;
- (c) "Commissioner" means the Commissioner of Public Instruction, Madhya Pradesh;
- (d) "Departmental Promotion Committee" means the Committee constituted under these rules;
- (e) "Director" means the Director of Public Instruction, Madhya Pradesh;
- (f) "Examination" means competitive examination or departmental examination conducted under these rules;
- (g) "Examining Agency" means the agency decided by the Government for conducting competitive examination or departmental examination under these rules;
- (h) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (i) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;
- (j) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of Citizen as specified by the State Government vide notification No.F-8-5-XXV-4-84 dated the 26<sup>th</sup> December, 1994 as amended from time to time;
- (k) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

- (l) "Scheduled Castes and Scheduled Tribes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste race or tribe specified as such in relation to the State of Madhya Pradesh under clause (24) and (25) of article 366 of the Constitution of India and are notified as such by Government from time to time;
- (m) "Service" means the Madhya Pradesh State and Subordinate Education Service (School Branch);
- (n) "State" means the State of Madhya Pradesh;
- (o) "Selection Committee" means Committee constituted under these rules;

3. **Scope and application** – Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General Condition of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of Service—**

The Service shall consist of the following persons, namely:-

- (i) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively or in officiating capacity the posts specified in Schedule-I;
- (ii) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules;
- (iii) Persons recruited to the Service in accordance with provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.—** The classification of the service, Payscale, the pay-band attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in the Schedule-I :

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service either on a permanent or a temporary basis.

6. **Method of recruitment,—** Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:—

- (a) Selections through direct recruitment;
- (b) By promotion of members of the Madhya Pradesh State Education and Subordinate Service from a lower post/cadre as specified in column (2) of Schedule IV to a higher post/cadre.
- (c) (i) By transfer of persons from such cadre/service as may be specified in Column (6) of Schedule-II;

- (ii) The number of persons recruited under clause (b) and clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed percentage as shown in schedule II and of the number of posts as specified in Schedule-I;
- (iii) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method; shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.
- (iv) Notwithstanding anything contained in sub-rule (i) if in the opinion of the Government, the exigencies of the service so require, the Government may with the consultation of the General Administration Department adopt any other methods of recruitment to the Service other than those specified in the said sub-rule.

7. **Appointment to posts in the Service** – All appointments to the vacancies arising in any category of posts in the service, after the commencement of these rules, shall be made by the appointing authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment** – In order to be eligible to compete for selection in the examination, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(1) **Age** –

(a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule, on the first day of January, next following the date of commencement of the selection/examination.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years, if a candidate belongs to a Scheduled Castes or a Scheduled Tribes, and Other Backward Classes.

- (c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of the candidates, who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below :-
- (i) A candidate who is a permanent/temporary Government servant should not be more than 45 years of age,
  - (ii) This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, worked-charged employees, contractual employees and employees working in the project implementation group.
  - (iii) A candidate, who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of seven years, even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than five years.

**Explanation –** The term “retrenched Government servant” denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units for the continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 5 years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

- (iv) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than five years.

**Explanation –** The term “ex-serviceman” denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service :-

- I. Ex-serviceman released under mustering out concessions.
- II. Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on –
  - (a) Completion of short term engagement.

- (b) Fulfilling the conditions of enrolment.
- III. Ex-personnel of Madras Civil Unit.
- IV. Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers),
- V. Officer discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies,
- VI. Ex-service man invalidated out of service,
- VII. Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers, --
- VIII. Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gunshot, wounds etc;
- (d) The maximum age limit shall further be relaxable for 05 years in case of widow/divorcee or destitute.
- (e) The maximum age limit shall further be relaxable for 02 years in case of green card holder under "family welfare programme"
- (f) The maximum age limit shall further be relaxable for 5 years for upper caste family members who marry in schedule casts, schedule tribe, under "inter caste marriage promotion scheme".
- (g) The upper age limit shall be relaxable upto 05 years in case of "Vikram Awardee";
- (h) The upper age limit shall be relaxable upto 05 years in case of employee of "NIGAM" or "MANDAL" of MADHYA PRADESH

Note:-(1) Candidates who are found eligible for examination/selection under the age concessions mentioned in sub-rule 8(i)(C)(i) and (ii) above shall not be eligible for appointment, if after submitting application, they resign from service either before or after examination/selection. They shall however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other case their age limit shall be relaxed.

(2) A departmental candidate shall be required to obtain permission of the appointing authority for presenting himself for selection.

- (2) **Educational qualifications** : Candidates must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule -III, provided that –

- (a) In exceptional cases the Commission may, on the recommendation of Government, treat as qualified a candidate, who though not possessing the qualifications prescribed in these rules but has passed Examinations conducted by other institutions by a standard which, in opinion of the Commission/ Government, justifies the consideration of the candidate for selection.
- (b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degree from foreign Universities, being Universities not specifically recognized by Government, may also be considered for selection at the discretion of the Commission or Government where the Commission is not involved.
- (3) **Fees** – The Candidates must pay the fees, if any, prescribed by the Commission or Government where the Commission is not involved.

**Disqualification –**

- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission or Government where the Commission is not involved, to disqualify him for appearing in the examination/selection.
- (2) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has married before the minimum age fixed for marriage.
- (3) No candidate shall be eligible for appointment to the service or post, who has been convicted for an offence:  
Provided that where such cases are pending against him/her in a Court, then appointment of a candidate shall be kept pending till the final decision of the criminal case.
- (4) Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of services) Rules, 1961 and all other instructions issued from time to time by Government shall also be applicable for ascertaining the disqualification of a candidate.
- (5) No candidate shall be eligible for the appointment to any service or post who has more than two living children one of whom is borne on or after the 26th January, 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified or ineligible for appointment to a service or post, who has already one living child and

next delivery takes place on or after 26th day of January, 2001 in which two or more two or more than two children are borne.

- 10. Commission's decision as to the eligibility of a candidate shall be final:-**  
The decision of the Commission or Government as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection/examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be allowed to appear in the examination /interview.
- 11. Direct Recruitment through competitive examination:-**
- (1) A competitive examination for recruitment to the posts included in the service as shown in Schedule-II shall be held at such intervals as the Commission/Government, where the Commission is not involved, may determine from time to time in consultation with the Commission.
  - (2) The examination shall be conducted by the Commission/ Government in accordance with such orders as may be issued from time to time in consultation with the Commission.
  - (3) There shall be reserved posts for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Evum Anya Pichhde Vergon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and as per orders issued by the State Government from time to time.
  - (4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in Rule-12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.
  - (5) Those candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes as are selected for appointment to the posts with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved under sub-rule (2) for the candidates of Scheduled Castes or Scheduled Tribes or other Backward Classes, as the case may be.
  - (6) In such cases, where working experience of some specific period is prescribed as essential conditions for the post to be filled in by direct



recruitment and it is found in the opinion of the Commission that sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, may not be available, the Commission after consultation with the Government may relax such conditions of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes.

- (7) If sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes are not available for filling the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall not be filled from other categories without prior permission of the State Government and those vacancies shall be kept vacant for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for the next selection.
- (8) Posts shall be reserved for women candidates as per the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Special provisions for appointment of Women) Rules, 1997.

**12. List of candidates recommended by the Commission/ Examining Agency –**

- (1) The Commission/Examining Agency shall prepare a list arranged in order of merit of all the candidates who may have qualified by such standards, as may be determined by it and shall forward the same to the appointing authority at the earliest.
- (2) Subject to the provisions of these Rules and of the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961 candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list. The appointment shall be made in accordance with roster as per rules.
- (3) The inclusion of the candidate's name in the list confers no right to appointment unless the appointing authority is satisfied after such enquiry, as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects to the appointment to the service.
- (4) The list shall be valid for a period of one year from the date of issue by the Commission/Examining Agency, it may be extendable to six more months subject to the permission of Commission/ Government.

13. Appointment by promotion—

- (1) There shall be a Committee consisting of the members mentioned in Schedule IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.
- (2) The Committee shall meet minimum once a year.
- (3) For such posts, which are to be filled by promotion as specified in Schedule-II, the procedure to be followed for filling the reserved vacancies by promotion shall be in accordance with the instructions issued by the General Administration Department of the Government as specified in the M.P. Public Service (Promotion) Rules, 2002 and instructions issued from time to time.

14. Conditions of eligibility for promotion—

Subject to the provisions of sub-rule (2) under explanation here the Committee shall consider the cases of all persons who on the 1<sup>st</sup> day of January of that year have completed not less than such number of years of service (whether officiating or substantive) on the posts from which promotion is to be made as specified in column (3) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of aforesaid sub-rule:

Provided that any junior person shall not be considered for promotion in preference to the person senior to him only on the basis that he has completed the prescribed years of service.

**Explanation :-** Manner of computation for eligibility for promotion:-

- (1) Period of qualifying service on 1<sup>st</sup> January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeding cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.
- (2) The zone of consideration by promotion shall be such as specified in the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002 and instructions issued from time to time.

15. Preparation of list of suitable candidates –

- (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in Rule 14 and are held by committee to be suitable for promotion to the service in according to the provisions of Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules 2002. The list shall be sufficient to cover the vacancies anticipated on account of

retirement/promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of two public servants or 25% of number of vacancies, whichever is more, shall be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(2) The criteria of preparation of select list shall be as per provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002 and instructions issued from time to time.

(3) The names of persons included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule-IV.

**Explanation**—A person whose name is included in the select list but he is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) A list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the state/subordinate service, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

**16. Consultation with the Commission**—The recommendation of the Departmental Promotion Committee presided over by the Chairman or a member of the Commission shall be deemed to be in compliance of the requirement of consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be required.

**17. Select List**—

(1) The Commission/Government shall consider the list prepared by the committee along with the other documents received from the Committee and unless it considers any necessary change, shall approve the list.

(2) If the Commission/Government considers it necessary to make any change in the list received from the Committee, it shall inform the Committee to the change proposed and after taking in to account the comments, if any, may approve the list finally with such modification, if any, as may in its opinion found just and proper.

(3) The list as finally approved by the Commission/Government shall form the select list for promotion of the members of the service as specified in column(2) Schedule -IV.

(4) The select list shall ordinarily be in force for a period of one year until it is reviewed or revised in accordance with the sub rule (4) Rule 15, but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission, if considers it appropriate remove the name of such person from the select list.

**18. Appointment to the service from the select list –**

Appointment of the persons included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such persons appear in the select list.

**19. Representation in Promotion/Screening Committee:-**

If the nominated members other than the member presiding the promotion/screening Committee in respect of the posts to be filled up by promotion/selection, do not represent the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes, then one member belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes category of the same status or of above shall be included in the promotion/ screening committee and the number of members of promotion/screening committee shall be extended to that limit.

**20. Probation –** Every candidate directly recruited shall be appointed on probation for a period of two years notwithstanding the provisions made for certain services/posts in these rules.

**21. Interpretation –** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to Government, its decision thereon shall be final.

**22. Relaxation –** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules shall apply in such manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that no case shall be dealt in any manner less favourable to the person than that provided in these rules.

**23. Saving –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the rules and orders issued by the State Government from time to time in this regard.

- 24. Repeal and Saving** – All Rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
PRAMOD SINGH, Dy. Secy.

**SCHEDULE - I**  
(See Rule 5)

**Classification, Pay Scale and number of posts included in the service**

S.No.	Name of the posts included in the service	Total number of posts	Classification	Scale of Pay	Appointing Authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Commissioner, Public Instruction	1	Class I	37400-67000+10000 GP	Government	
2.	Director of Public Instruction	3	Class I	37400-67000+8900 GP	Government	1 ex-cadre post for SIEMAT
3	Add. Director of Public Instruction	7	Class I	37400-67000+8700 GP	Government	5 ex-cadre posts for RSK and state open school
4	Joint Director Public Instruction	24	Class I	15600-39100+7600 GP	Government	3 ex-cadre posts for RMSA, 1 for Patanjali, 1 for Madarsa Board
5	Joint Director System	1	Class I	15600-39100+7600 GP	Government	
6	Chief Accounts Officer	1	Class I	15600-39100+7600 GP	Government	Deputation from SAS Service
7	Deputy Director, Public Instruction	96	Class I	15600-39100+6600 GP	Government	14 ex-cadre posts (1 Post for Open School, 1 Post for Patanjali, 3 posts for RMSA, and 9 posts for RSK.)
8	Deputy Director, Public Instruction Supdt. Cadre	01	Class I	15600-39100+6600 GP	Government	
9	Science Consultant in the Directorate of Public Instruction	1	Class I	15600-39100+6600 GP	Government	
10	Senior System Analyst	1	Class I	15600-39100+6600 GP	Government	
11	Chief Librarian	1	Class I	15600-39100+6600 GP	Government	
12	Asst. Director, Public Instruction	384	Class II	15600-39100+5400 GP	Government	
13	Asst. Director from Superintendent cadre	2	Class-II	15600-39100+5400 GP	Government	
14	Asst. Director from Senior Personal Assistant Cadre	2	Class-II	15600-39100+5400 GP	Government	
15	Asst. Director Programme	1	Class-II	15600-39100+5400 GP	Government	
16	Finance Officer	1	Class II	15600-39100+5400 GP	Government	

17	Principal, College of Physical Education	01	Class-II	15600-39100+5400 GP	Government	
18	Principal, Higher Secondary Schools	2660	Class-II	15600-39100+5400 GP	Government	
19	Principal, Higher Sanskrit Vidyalaya	05	Class-II	15600-39100+5400 GP	Government	
20	Principal, Government Hindi Vidyapeeth, Gwalior	1	Class-II	15600-39100+5400 GP	Government	
21	Regional Librarian	5	Class-II	15600-39100+5400 GP	Government	
22	Principal, High School	2912	Class-II	9300-34800+4200 GP	Commissioner Public Instruction	
23	Sr. Personal Assistant	7	Class-II	9300-34800+4200 GP	Commissioner Public Instruction	
24	Cartographer in the Directorate	1	Class-II	9300-34800+3600 GP	Government	
25	Accounts Officer/ Assistant- cum- Finance Officer	56+1	Class-II	9300-34800+3600 GP	Government	
26	Planning Officer	39	Class-II	9300-34800+3600 GP	Government	
27	Lecturer, Physical Education	7	Class-II	9300-34800+3600 GP	Commissioner Public Instruction	
28	Lecturer, Higher Secondary Schools	5908	Class-II	9300-34800+3600 GP	Commissioner Public Instruction	
29	Lecturer, Sanskrit Schools	8	Class-II	9300-34800+3600 GP	Commissioner Public Instruction	
30	Lecturer, Hindipeeth Gwalior	3	Class-II	9300-34800+3600 GP	Commissioner Public Instruction	
31	Area Education Officer	3286	Class-II	9300-34800+3600 GP	Commissioner Public Instruction	
32	Head Master, Middle Schools	9514	Class-II	9300-34800+3600 GP	District Collector	

**Note:** As the designation of the posts, Assistant Director ( Planning), and Assistant Director (Physical Education ), has been renamed as Assistant Director, Public Instruction, the number of posts sanctioned earlier as 13 for Assistant Director (Planning), and 10 for Assistant Director (Physical Education) have been merged with the number of posts of Assistant Director, Public Instruction, shown against Sr. no 12 in column number(3) of the schedule-1

**SCHEDULE-II**  
(See Rule 6)

Sr. No.	Name of posts included in the service	Total number of posts	Percentage of posts to be filled		
			By direct recruitment (Rule 6 A)	By promotion (Rule 6B)	By transfer (Rule 6 C)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Commissioner of Public Instruction	1			By deputation from IAS cadre
2.	Director, Public Instruction	3		100%	One post by deputation from IAS/State Administrativ Service cadre
3.	Addl. Director of Public Instruction	7		100%	
4.	Joint Director Public Instruction	24		100%	
5.	Joint Director System	1		100%	
6.	Chief Accounts Officer	1			By deputation from State Accounts Service
7.	Dy. Director of Public Instruction	96		100%	
8.	Dy. Director of Public Instruction - Supdt. Cadre	01		100%	
9.	Science Consultant in the Directorate	1			By deputation
10.	Sr. System Analyst	1		100%	
11.	Chief Librarian	1		100%	
12.	Asst. Director of Public Instruction	384	50%	50%	
13.	Asst. Director from Superintendent cadre	2		100%	
14.	Asst. Director from Senior Personal Assistant	2		100%	
15.	Asst. Director Programme	1	100%		
16.	Finance Officer	1			By deputation from State Accounts Service
17.	Principal, College of Physical Education	1		100%	
18.	Principal, Higher Secondary Schools	2660		100%	
19.	Principal, Higher Sanskrit Vidyalaya	5		100%	
20.	Principal, Government Hindi Vidyapith, Gwalior	1		100%	
21.	Regional Librarian	5		100%	
22.	Principal, High School	2912	**25%	**75%	



Sr.No.	Name of posts	No. of posts	Percentage of posts to be filled		
			By direct recruitment (Rule 6 A)	By promotion (Rule 6B)	Transfer Rule 6 (C)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23	Sr. Personal Assistant	7		100%	
24	Cartographer in the Directorate	1		100%	
25	Accounts Officer/ Assistant-cum- Finance Officer	56+1		100%	
26	Planning Officer	39		100%	
27	Lecturer, Physical Education	07		100%	
28	Lecturer, Higher Secondary Schools	5518		100%	
29	Lecturer, Sanskrit Schools	8		100%	
30	Lecturer, Hindipeeth	3		100%	
31	Area Education Officer	3286	100%		
32	Head Masters, Middle School	9514		100%	

**\*Note:-**

(1) 25% posts of Principal, High Schools shall be filled by direct recruitment through limited examinations from the cadre of Varisht Adhyapak of Local bodies.

(2) Out of remaining 75% posts of Principal, High Schools; 50% posts shall be filled by promotions from lecturer, HSS cadre and 25% post shall be filled from Area Education Officers cadre.

(3) 50% posts of Assistant Director Public Instruction at Sr.No.12 shall be filled by direct recruitment through Madhya Pradesh Public Service Commission Examination and remaining 50% posts shall be filled by promotion from Principal, HSS cadre.

(4) Posts at Sr.No.27 will be filled by promotion from District Sports and Welfare Inspector/Physical Training Instructor (Higher Pay Scale)

(5) Posts at Sr.No.29 and 30 filled by promotion along with the posts at Sr.No.30 out of trained Upper Division Teachers having Post Graduate degree in respective subjects

**SCHEDULE -III**  
**(See Rule 8)**  
**Age and Eligibility for Direct Recruitment**

S. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Education qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Assistant Director of Public Instruction	21 years	40 years	1) Graduate degree from any recognized university or equivalent degree from a recognized institution.	Recruitment under State Education Services through combined competitive examination by M.P. Public Service Commission
2.	Assistant Director Programme	21 years	40 years	MCA or BE/B.Tech with Computer Science or equivalent degree	Recruitment under State Education Services through combined competitive examination by M.P. Public Service Commission
3.	Principal High School			1) Post graduate degree from any recognized university or equivalent degree from a recognized institution. 2) Graduate degree in education (B.Ed.) or equivalent degree in education, recognized by National Council for Teachers Education. 3) Minimum 5 years working experience on the post of Varisht Adhyapak in Government Schools under Panchayat and Urban Bodies	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selection under State Education Services through limited examination by the agency as decided by the Government</li> <li>• There shall be no lower and upper age limit for the selection for this cadre.</li> </ul>
4.	Area Education Officer			1) Graduate Degree from any recognized University. 2) Graduate Degree in Education (B.Ed.) or Diploma in Elementary	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selection under subordinate Education Services through limited examination by the agency as decided by the Government</li> </ul>

Sr. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Education qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Education or equivalent degree/diploma in education from recognized university/institution. All such degree/diploma in education should be recognized by National Council for Teachers Education.  3) Headmaster, Middle Schools, Upper Division Teachers of Government schools and Adhyapaks in Government Schools under Panchayat and Urban bodies, shall be eligible for selection. Teacher(Upper Division Teacher) and minimum Adhyapak should have 5 years teaching experience	<ul style="list-style-type: none"> <li>There shall be no lower and upper age limit for the selection for this cadre.</li> </ul>

**Note - (1):-** There shall be no lower and upper age limits for selection on the posts of Principal, High School and Area Education Officers.

**Note - (2):-** Under State Education Services, there shall be two years of probation period for the post of Assistant Director Public Instruction recruited through combined competitive examination by M.P. Public Service Commission and two years of probation period for the post of Principal, High Schools selected through limited examinations held by the Agency decided by the Government. The probation period shall include the following activities:

**(a) Assistant Director Public Instruction :-**

- (i) Induction Training of one year – During this period the recruited incumbents shall be registered for Diploma/Certificate in Educational

Management Course under any recognized institution. This shall be done through an open and distance learning mode.

(ii) Leadership Training – There shall be one month Leadership Training under SIEMAT or Indian Institute of Management, Indore or from any reputed institute of management. In case of Leadership Training under SIEMAT, the Project Implementation Module shall be got prepared either by Indian Institute of Management, Indore or by any other reputed Institute of Management.

(iii) Every person appointed to the service shall be appointed on 2 years probation initially. Only on successful completion of probation period the incumbent officer shall be given a regular appointment. In case the officer fails to complete the probation successfully, the probation period shall be extended for additional one year. But, if one is found unable to complete the probation period successfully even after utilizing the additional one year probation period, he/she shall be terminated from the services.

**(b) Principal High Schools –**

(i) Induction Training of one-year – During this period the recruited incumbents shall be registered for Diploma/Certificate for Educational Management Course under any recognized institution. This shall be done through the open and distance learning mode.

(ii) Leadership Training – There shall be one month Leadership Training under SIEMAT or Indian Institute of Management, Indore or from any reputed institute of management. In case of Leadership Training under SIEMAT, the Project Implementation Module shall be got prepared either by Indian Institute of Management, Indore or by any other reputed institute of management.

(iii) Every person appointed to the service on selection through limited examinations shall be appointed on probation for two years initially and shall be posted necessarily in rural areas. Only on successful completion of probation period the incumbent officer shall be given a regular appointment. In case the officer fails to complete the probation successfully, the probation period shall be extended for additional one year. But, if one is found unable to complete the probation period successfully even after utilizing the additional one year probation period, he/she shall be repatriated to the post of original cadre.

Probation period for sub-ordinate education services : Officers under sub-ordinate education services shall be appointed initially on probation for two years. The probation period shall include the following activities :-

- (i) Leadership Training :- There shall be leadership training for one month in SIEMAT which shall include the topics of Project Management and School Administration.
- (ii) On successful completion of probation period the incumbent officer shall be given a regular appointment. In case the officer fails to complete the probation successfully, the probation period shall be extended for additional one year. But, if one is found unable to complete the probation period successfully even after utilizing the additional one year probation period, he/she shall be repatriated to the post of original cadre.

Note - (4):- Interval in selection process :

- (i) The vacancies falling under the direct recruitment for the post of Assistant Director Public Instruction shall be filled through the "State Combined Civil Service Examinations".
- (ii) The vacancies falling under the direct recruitment for the post of Principal, High School shall be filled through the limited examination held by the agency as decided by the Government on selection basis. Such examinations shall be held once in every two years time.

Note - (5):- Minimum and maximum age limits may vary from time to time as per the directions issued by General Administration Department, Government of Madhya Pradesh.

**SCHEDULE -IV**  
(See Rule 13)

S.No	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the post on which promotions is to be made	Experience for the post	Member of the Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Additional Director of Public Instruction.	Director of the Public Instruction.	5 years	(1) Chief Secretary or Addl. Chief Secretary (2) Principal Secretary, School Education -Member (3) Commissioner of the Public Instruction (Ex-officio Secretary, School Education) -Member (4) Dy. Secretary School Education -Member Secretary	
2.	1) Joint Director of Public Instruction 2) Joint Director, System	Additional Director of Public Instruction.	5 years	(1) Chairman, Public Service Commission or Member nominated by him -Chairman (2) Principal Secretary, School Education -Member (3) Commissioner of the Public Instruction -Member (4) Dy. Secretary School Education -Member Secretary	
3.	(1) Deputy Director of Public Instruction (2) Science Consultant in the Directorate	Joint Director of Public Instruction	5 years	(1) Chairman, Public Service Commission or Member nominated by him -Chairman (2) Principal Secretary, School Education- Member (3) Commissioner of the Public Instruction -Member (4) Dy. Secretary School Education -Member Secretary	

S.No	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the post on which promotions is to be made	Experience for the post	Member of the Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Senior System Analyst	Joint System Director,	5 years	(1) Chairman, Public Service Commission or Member nominated by him -Chairman (2) Principal Secretary, School Education -Member (3) Secretary, Information Technology (4) Commissioner of The Public Instruction -Member (5) Dy. Secretary Education -Member Secretary	
5.	Assistant Director of Public Instruction	Deputy Director of Public Instruction	5 years	(1) Chairman, Public Service Commission or Member nominated by him -Chairman (2) Principal Secretary, School Education -Member (3) Commissioner of the Public Instruction -Member (4) Director, Public Instruction - Member (5) Dy. Secretary Education -Member Secretary	
6.	Assistant Director Programme	Senior System Analyst	5 years	(1) Chairman, Public Service Commission or Member nominated by him -Chairman (2) Principal Secretary, School Education -Member (3) Secretary, Information Technology (4) Commissioner of the Public Instruction -Member (5) Director, Public Instruction - Member (6) Dy. Secretary Education -Member Secretary	

S.No.	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post on which promotion is to be made	Experience for the post	Member of the Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Assistant Director from Superintendent cadre	Deputy Director of Public Instruction (Superintendent Cadre)	5 years	(1) Chairman, Public Service Commission or Member nominated by him -Chairman (2) Principal Secretary, School Education -Member (3) Commissioner of the public Instruction -Member (4) Director, Public Instruction -Member (5) Dy. Secretary Education -Member Secretary	
8.	(1) Principal, Higher Secondary Schools (2) Principal, Higher Sanskrit Vidhyalaya (3) Principal, Hindi Vidyapeeth, Gwalior (4) Principal collage of Physical education) (5) Planning officer.	Assistant Director Public Instruction	5 Years	(1) Chairman, Public Service Commission or Member nominated by him -Chairman (2) Principal Secretary, School Education -Member (3) Commissioner of the public Instruction -Member (4) Director, Public Instruction -Member (5) Dy. Secretary Education -Member Secretary	4 and 5 posts of Assistant Director Public Instruction will be kept reserved for promotion from Planning Officer and Principal collage of Physical Education respectively.
9.	Regional Librarian	Chief Librarian in Directorate of Public Instruction	5 Years	(1) Chairman, Public Service Commission or Member nominated by him -Chairman (2) Principal Secretary, School Education -Member (3) Commissioner of the public Instruction -Member (4) Director, Public Instruction -Member (5) Dy. Secretary Education -Member Secretary	



S.No	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the post on which promotions is to be made	Experience for the post	Member of the Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Superintendent. Public Instruction Directorate	Assistant Director Supdt. cadre	5 years	(1) Chairman, Public Service Commission or Member nominated by him -Chairman (2) Principal Secretary, School Education -Member (3) Commissioner of the Public Instruction -Member (4) Director, Public Instruction - Member (5) Dy. Secretary Education -Member Secretary	
11.	Senior Personal Assistant	Assistant Director (Steno Cadre)	5 years	(1) Chairman, Public Service Commission or Member nominated by him -Chairman (2) Principal Secretary, School Education -Member (3) Commissioner of the Public Instruction -Member (4) Director, Public Instruction - Member (5) Dy. Secretary Education -Member Secretary	
12.	Principal, High Schools	Principal, Higher Secondary Schools Principal, Higher Sanskrit Schools Principal, Hindi Vidhyapeeth, Gwalior	10 years in total including on the post of Lecturer Higher Secondary and Principal High School	(1) Chairman, Public Service Commission or Member nominated by him -Chairman (2) Principal Secretary, School Education -Member (3) Commissioner of the Public Instruction -Member (4) Director, Public Instruction - Member (5) Dy. Secretary Education -Member Secretary	

S.No	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the post on which promotions is to be made	Experience for the post	Member of the Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Lecturer, College of Physical Education	Principal, College of Physical Education	5 years	1) Chairman, Public Service Commission or Member nominated by him -Chairman 2) Principal Secretary, School Education -Member 3) Commissioner of the Public Instruction -Member 4) Director, Public Instruction - Member 5) Dy. Secretary Education -Member Secretary	
14.	Lecturer, Higher Secondary School Lecturer, Higher Sanskrit Schools Lecturer, Hindi Vidhyapeeth, Gwalior	Principal, High School	5 years	(1) Commissioner, Public Instruction - Chairperson (2) Director, Public Instruction - Member (3) Addl. Director/ Joint Director - Member (4) Dy. Director/ Asst. Director -Member Secretary	
15.	Assistant Statistical Officer (ASO)	Planning Officer	5 years	1) Chairman, Public Service Commission or Member nominated by him -Chairman 2) Principal Secretary, School Education -Member 3) Commissioner of the Public Instruction -Member 4) Director, Public Instruction - Member 5) Dy. Secretary Education -Member Secretary	

S.No	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the post on which promotions is to be made	Experience for the post	Member of the Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Area Education Officers	Principal, High School	5 years	(1) Commissioner, Public Instruction - Chairperson (2) Director, Public Instruction - Member (3) Addl. Director/ Joint Director - Member (4) Dy. Director/ Asst. Director - Member Secretary	
17.	Librarian (Selection Grade)	Regional Librarian	5 years	1) Chairman, Public Service Commission or Member nominated by him -Chairman (2) Principal Secretary, School Education -Member (3) Commissioner of the Public Instruction -Member (4) Director, Public Instruction - Member (5) Dy. Secretary Education -Member Secretary	
18.	Assistant Superintendent/Seni or Auditor	Accounts Officer/ Assistant Accountant-cum-Finance Officer	5 years	1) Chairman, Public Service Commission or Member nominated by him -Chairman (2) Principal Secretary, School Education -Member (3) Commissioner of the Public Instruction -Member (4) Director, Public Instruction - Member (5) Dy. Secretary Education -Member Secretary	

S.No.	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post on which promotion is to be made	Experience for the post	Member of the Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Artist Cartographer Unit	Cartographer in Directorate	5 years	(1) Commissioner Public Instruction -Chairperson (2) Director, Public Instruction -Member (3) Addl. Director/ Joint Director -Member (4) Dy. Director/ Asst. Director -Member Secretary	
20.	Personal Assistant	Senior Personal Assistant	5 years	(1) Commissioner Public Instruction -Chairperson (2) Director, Public Instruction -Member (3) Addl. Director/ Joint Director -Member (4) Dy. Director/ Asst. Director -Member Secretary	
21.	(1) Upper Division Teacher (2) Head Master Middle School	Lecturer, Higher Secondary school Lecturer, Higher Sanskrit Schools Lecturer, Hindi Vidhyapeeth, Gwalior	5 years	(1) Commissioner Public Instruction -Chairperson (2) Director, Public Instruction -Member (3) Addl. Director/ Joint Director -Member (4) Dy. Director/ Asst. Director -Member Secretary (5) Subject Specialist -Member	
22.	Upper Division Teacher	Head Master, Middle School	5 years	(1) District Collector -Chairperson (2) District Education Officer (3) Astd. Director, Public Instruction, District Education Officer -Member Secretary (5) Pricipal, Higher Secondary	

- (1) Due to renaming of desingnation "Assistant director Planning" and "Assistant Director Physical education" as "Assistant director Public Instruction, 17 Post

of "Assistant director Planning" and 05 posts ( 50% of 10 earlier sanctioned) of "Assistant Director Physical education" will be kept reserved for promotion of Planning Officer and principal, College of Physical education respectively to the post of Assistant Director Public Instruction shown against Sr no. 8 in column no. 3 of schedule 4.

- (2) Seniority of Officers belonging to the constituent units will be counted on the basis of their respective position given in the combined gradation list prepared under S.R. Act.
- (3) The Upper Division Teachers who have achieved the President's/Governor's Award, as the case may be, under the Scheme of National Award/State Award to teachers, shall be given out of turn promotion to the post of Lecturer, Higher Secondary School, Provided that he has obtained the senior pay scale/ Kramonnati Pay Scale or any other corresponding pay scale and is otherwise eligible for promotion Under these rules.
- (4) For the promotion on the post of lecturer the seniority of the feeder cadre will not change in the event of inter-district transfers. Headmaster Middle schools having Post Graduate Degree shall also be eligible for promotion on the post of Lecturer, Higher Secondary Schools on the basis of their seniority on the post of Upper Division Teacher. For such promotion a combined seniority list/reference list shall be maintained at the Directorate of Public Instruction.
- (5) The post of Head Master Middle School shall remain still a district cadre post and their seniority shall be maintained at the district level

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
PRAMOD SINGH, Dy. Secy.